भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2602**

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: डिजिटल कृषि मिशन**

2602. श्री मलैयारासन डी.:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि डिजिटल कृषि मिशन द्वारा तमिलनाडु में किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के अधिकारों और डेटा की निजता का सम्मान किया जाए;

(ख) सरकार उक्त मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ग्रामीण और स्थानीय पृष्ठभूमि के किसानों को किस प्रकार शामिल करने और प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है;

(ग) तमिलनाडु के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत निधि के आवंटन और उपयोग की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्थानीय कृषि पद्धतियों और चुनौतियों के अनुरूप मिशन को तैयार करने के लिए तमिलनाडु सरकार और अन्य राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि उक्त मिशन के तहत स्मार्टफोन या इंटरनेट की विश्वसनीय पहुँच से वंचित किसानों को बहिष्कृत नहीं किया जाए?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार ने सितंबर, 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत देश में एक सुदृढ़ डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को सक्षम बनाने हेतु कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक सॉयल फर्टीलिटी और प्रोफाइल मानचित्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इससे नवोन्मेषी किसान-केन्द्रित डिजिटल समाधान को बढ़ावा मिलेगा तथा सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

किसान रजिस्ट्री में डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है। इसके अलावा, भारत सरकार एग्रीस्टैक में मज़बूत डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के विभिन्न साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करती है। एग्रीस्टैक किसानों की जानकारी को एन्क्रिप्टेड रखता है ताकि केवल निर्दिष्ट सिस्टम ही उसे पढ़ सकें। सुरक्षित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा एक्सचेंजों को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुँच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, सरकार आईटी सिस्टम में संग्रहीत डेटा की सुरक्षा के लिए इन सभी आईटी सिस्टम्स का नियमित सुरक्षा

ऑडिट करती है। इसके अतिरिक्त, एग्रीस्टैक से किसान डेटा केवल एग्रीस्टैक में सहमति प्रबंधक फ्रेमवर्क के माध्यम से किसानों की स्पष्ट सहमति से ही साझा किया जा सकता है।

इसके अलावा, तथापि स्मार्ट फ़ोन अब सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ होते जा रहे हैं, भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियाँ अपनी सेवाओं को देश के लगभग हर कोने तक पहुँचा चुकी हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं कि जिन किसानों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हैं, वे भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे किसान एग्रीस्टैक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) जैसी मौजूदा सहायता सुविधाओं का उपयोग करके सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। राज्य भी शिविरों का आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के लाभों से वंचित न रहे। सरकार स्थानीय भाषाओं में भी डिजिटल एप्लीकेशन उपलब्ध करा रही है, जैसे कि तमिलनाडु में उपयोग किया जा रहा डिजिटल फसल सर्वेक्षण एप्लीकेशन क्षेत्रीय भाषा में है।

सरकार एग्रीस्टैक के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है।

i. राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
ii. किसान पहचान पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।
iii. परियोजना निगरानी इकाई बनाने के लिए मानव संसाधन की नियुक्ति में सहायता।
iv. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।
v. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की योजना की घोषणा की है, जिसके लिए कुल 6000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
vi. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को शिविर-मोड दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को क्षेत्र-स्तरीय शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
vii. किसान रजिस्ट्री के निर्माण और सत्यापन में तेजी लाने के लिए, पीएम किसान योजना के प्रशासनिक फंड से प्रति किसान आईडी 10 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग किसान रजिस्ट्री के निर्माण में शामिल फील्ड कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

डिजिटल कृषि मिशन को राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया है। इसके अलावा, एग्रीस्टैक के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की निगरानी एक प्रचालन समिति द्वारा भी की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मिशन को विशिष्ट कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए इनपुट को शामिल करने हेतु राज्य-स्तरीय अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत डीसीएस प्रचालन करने के लिए तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 29.934 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

******